

श्री उपसभापति : माननीय गुलाम अली जी, एक मिनट रुकिए। अब दो बजे से प्राइवेट मेम्बर बिजनेस है। आपका जो पांच मिनट का समय बचा रह गया है, पुनः साढ़े चार बजे बजट पर बहस शुरू होगी, तब आप बाकी समय बोल सकते हैं।

2.00 P.M.

PRIVATE MEMBERS' BILLS

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No.1, 'The Representation of the People (Amendment) Bill, 2022.' Shri Iranna Kadadi to move for leave to introduce the Bill.

The Representation of the People (Amendment) Bill, 2022

श्री ईरण्ण कडाडी (कर्णाटक): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

The question was put and the motion was adopted.

श्री ईरण्ण कडाडी : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No. 2, 'The Constitution (Amendment) Bill, 2022 (Insertion of New Article 21B).' Shri Iranna Kadadi to move for leave to introduce the Bill.

The Constitution (Amendment) Bill, 2022 (insertion of new article 21B)

श्री ईरण्ण कडाडी (कर्णाटक): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

The question was put and the motion was adopted.

श्री ईरण्ण कडाडी : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Third, 'The Right of Children to Free, Compulsory and Quality Education (Amendment) Bill, 2023.' Shri Iranna Kadadi to move for leave to introduce the Bill.